

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-411/11
संस्थापित दिनांक-07.09.2011
Filling no. 235103002502011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- शंकर सिंह पुत्र बुद्धलाल लोधी उम्र 65 साल 2- अतल सिंह पुत्र शंकरसिंह लोधी उम्र 28 साल निवासीगण-ग्राम बेलई पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 15.09.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34, 323/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 17.07.2011 को 13 बजे ग्राम बेलई में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में एक सह अभियुक्त के साथ मिलकर धारदार वस्तु से रतिया की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत सुनीता को डण्डो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी रतियाबाई थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 17.07.2011 को दिन के करीब 1 बजे का समय होगा, उनके गाँव का शंकर, अतल सिंह लोधी ने जमीन विवाद पर से उनके दरवाजे पर आकर गली में गाली देने लगे, जब उसने व उसकी देवरानी सुनीताबाई ने कहा कि गाली मत दो, हम लोगो ने जमीन की रजिस्ट्री करायी है और नामांतरण भी कराया है अब जमीन आरोपीगण की नहीं है, वे जब से खेती करते चले आ रहे हैं इसलिये जब अब आरोपीगण की नहीं है। इसी बात पर दोनो अभियुक्तगण ने डण्डे से उसकी व सुनीता की की मारपीट कर दी, उसके दोनो हाथों की कलाई में चोट आकर खून निकल, कमर, पीठ में मूंदी चोट आ गई, दोनो हाथों की कलाई की चूड़िया टूट गई, और सुनीता के भी दोनो हाथों की कलाई में चोट आई खून निकला, पीठ व कमर में मूंदी चोट आ गई थी। शंकर ने उसकी मारपीट की और अतल ने

सुनीता की मारपीट की। शंकर के डण्डे में कोई पत्ती लगी थी उसी से चोट आई है। मौके पर बाबूलाल, हजारीलाल मास्टर साहब थे जिन्होंने घटना देखी है। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.07.2011 को 13 बजे ग्राम बेलई में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में एक सह अभियुक्त के साथ मिलकर धारदार वस्तु से रतिया की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत सुनीता को डण्डो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। रतिबाई अ०सा०01, सुनीताबाई अ०सा०04 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी शंकर सिंह व अतल सिंह को जानती है। रतिबाई का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक साल पहले की है, वह और उसकी देवरानी सुनीता बाई घर पर गेहूँ साफ कर रहे थे, शंकर सिंह आया और गाली गलौच करने लगा और झुमा झटकी की। हाथ पकड़ लिये जिससे चुड़ियां टूट गई थी और दाएं व बाएं हाथ में चुड़ियां टूटने से चोट आ गई थी और सुनीता को भी चोट आ गई थी।

06— अभियोजन अधिकारी द्वारा रतिबाई अ०सा०01 से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी अतल सिंह भी घटना स्थल पर मौजूद था और उसने भी गालियां दी थी तथा इस बात को भी स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसकी जमीन की रंजिश चल रही है। साक्षी का कहना है कि मौके पर बाबूलाल व हजारी भी आ गये थे। साक्षी को प्र.पी.1 की अदम चैक रिपोर्ट पढ़कर सुनाने पर साक्षी ने वैसी ही रिपोर्ट थाना पिपरई में कराया जाना

व्यक्त किया। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया कि उसे शंकर सिंह ने मारा था अतल सिंह ने नहीं मारा था। उक्त साक्षी ने बताया कि शंकर सिंह ने उसे लाठी से मारा था और अतल सिंह लट्ठ लेकर दूर खड़ा हुआ था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि शंकर सिंह ने उसका तथा सुनीता का मुंह दबा दिया था। उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कहना है कि घटना सुबह 8 बजे की है 1 बजे की नहीं है। साक्षी से यह पूछने पर कि घटना का समय यदि 1 बजे लिखा है तो साक्षी का कहना है कि वह गलत है।

07— सुनीता अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 3 साल पहले की होकर दिन के 3 बजे की है, वह उसके घर की बाखर में थी और उसकी जेठानी जिसके घर पर गेहूँ नुका रही थी तो शंकर सिंह शराब पीकर आया और रतिबाई से उसकी चैंटा चांटी हो गई थी। उक्त चैंटा चांटी खेत के बारे में हुई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने बीच बचाव किया था और शंकर सिंह चले गये थे, फिर उसके दरबाजे पर झगड़ा हुआ था जिसमें गालियाँ दी थी और कुछ नहीं किया था। उक्त साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि शंकर सिंह अकेले थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि झगड़े के समय आरोपी शंकर सिंह के साथ अतल सिंह भी आया था। स्वतः कहा कि बाद में आया था। इस बात को भी स्वीकार किया कि आरोपीगण डण्डा लेकर आए थे और आरोपीगण ने उसकी जेठानी व उसकी डण्डे से मारपीट की थी। उक्त साक्षी का कहना है कि बीच बचाव में अतल सिंह ने उसे भी डण्डा मारा था तथा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी जेठानी रतिबाई को डण्डे में लगी लोहे की पत्ती से चोट आई थी तथा घटना के समय बाबूलाल, हजारी लाल मौजूद थे।

08— सुनीता अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि उसका और शंकर सिंह का जमीन के उपर से झगड़ा चल रहा है और शंकर सिंह जबरदस्ती उनकी जमीन छिनना चाहता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे व उसकी जेठानी रतिबाई को अतल सिंह ने नहीं मारा था और उसी बचाव बची में एक डण्डा लगा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि आरोपी शंकर सिंह व रतिबाई की चैंटा चांटी हो रही थी। उक्त साक्षी ने चैंटा चांटी से मतलब दूर से बातचीत होना बताया है और इस बात को भी स्वीकार किया कि उसने चैंटा चांटी देखी है और कुछ नहीं देखा है। सुनीता अ0सा04 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई चैंटा चांटी नहीं की उसने तो केवल बीच बचाव किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि शंकर सिंह और अतल सिंह ने कोई मारपीट नहीं की। उक्त साक्षी का कहना है कि शंकर सिंह ने उसकी जेठानी की मारपीट की थी।

09— रामबाबू शर्मा अ0सा05 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 17.07.11 को थाना पिपरई में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और फरियादी रतिबाई की

मारपीट के संबंध में आरोपी शंकर सिंह, अतल सिंह के विरुद्ध अदम चैक रिपोर्ट प्र. पी.1 लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और फरियादी रतिबाई एवं आहत सुनीताबाई को मेडिकल परीक्षण हेतु सरकारी अस्पताल पिपरई भेजा था। मेडिकल रिपोर्ट में शार्प लिखा होने से उसके द्वारा प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। असल अपराध रिपोर्ट प्र.पी. 5 उसकी हस्तलिपि में है और विवेचना एएसआई हुकुमचन्द्र को सौंप दी थी जिनकी मृत्यु हो गई है।

10— चक्षुदर्शी साक्षी हजारी लाल अ0सा02 एवं बाबूलाल अ0सा03 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछने पर भी उन्होंने पुलिस कथन प्र.पी.2 एवं 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर उक्त साक्षीगण ने वैसा कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है तथा प्रकरण के विवेचना अधिकारी एएसआई हुकुमचन्द्र की मृत्यु हो जाने से उनके कथनों का भी अभाव रहता है। यद्यपि मृतक हुकुमचन्द्र द्वारा की गई विवेचना को रामबाबू शर्मा अ0सा05 द्वारा उनके हस्ताक्षर और हस्तलिपि के संबंध में प्रमाणित कराया गया है।

11— प्रकरण की फरियादिया रतिबाई अ0सा01 ने थाना पिपरई में प्र.पी.1 की अदम चैक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी उसमें रतिबाई द्वारा आरोपीगण शंकर सिंह, अतल सिंह द्वारा डण्डे से मारपीट करना और उसके तथा सुनीता के हाथों की कलाई पर चोट होना बताया था और घटना का समय करीब 1 बजे होने का उल्लेख किया है, जबकि रतिबाई अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में घटना का समय सुबह 8 बजे होना एवं अन्य आहत सुनीता बाई अ0सा04 द्वारा घटना का समय दोपहर 3 बजे होना बताया है। इसके अलावा फरियादी रतिबाई ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसे अतल सिंह ने नहीं मारा था और अतल सिंह द्वारा मारपीट करने वाली बात यदि उसकी पुलिस रिपोर्ट व बयान में लिखी हो तो वह गलत है। उक्त साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी शंकर सिंह द्वारा गाली गलौच करने और झुमा झटकी तथा हाथ पकड़ लेने से चुड़ियां टूटने वाली बात बताई है। जबकि सुनीता जोकि स्वयं भी इस प्रकरण में आहत है ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसे व उसकी जेठानी रतिबाई को अतल सिंह ने नहीं मारा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि यह कहना सही है कि उसके साथ आरोपीगण ने कोई चैंटा चांटी नहीं की है और जब वह पहुँची तब शंकर सिंह और रतिबाई की चैंटा चांटी हो रही थी। चैंटा चांटी से तात्पर्य उक्त साक्षी ने बताया कि बातचीत हो रही थी। उक्त साक्षी ने इस बात को भी सही बताया कि उसने चैंटा चांटी देखी है और कुछ नहीं देखा है।

12— इस प्रकार प्रकरण की फरियादी रतिबाई अ0सा01 एवं आहत सुनीता अ0सा04 के कथनों में घटना के समय को लेकर एवं प्रकरण के तात्त्विक बिन्दुओं अर्थात् आरोपीगण द्वारा डण्डे से मारपीट करना एवं सुनीताबाई द्वारा आरोपी शंकर सिंह और

रतिबाई के बीच चैंटा चांटी होना व्यक्त किया और प्रकरण के स्वतंत्र एवं चक्षुदर्शी साक्षी हजारीलाल अ0सा02, बाबूलाल अ0सा03 द्वारा घटना का लेसमात्र भी समर्थन न करना सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है। इस के अलावा डॉ. प्रशांत दुबे अ0सा06 के द्वारा आहत रतिबाई को दाएं हाथ के दडा पर कलाई के पास एक कटा घाव होना व्यक्त किया और अभिमत में उक्त साक्षी द्वारा आहत रतिबाई को आई हुई उक्त चोट किसी धारदार वस्तु से आना व्यक्त की है और आहत सुनीता को बाएं हाथ की कलाई के पास एक खरोच आना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आहत रतिबाई एवं सुनीता को प्र.पी. 7 एवं 8 में वर्णित चोटे स्वकारित की जा सकती है। चिकित्सीय साक्ष्य पुष्टि कारक साक्ष्य होती है और जहां चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में भिन्नता हो वहां प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को महत्व दिया जाता है क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्य केवल पुष्टि कारक होती है एवं अदम्य चैक रिपोर्ट प्र.पी. 1 में भी आहत रतिबाई को धारदार वस्तु से मारने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

13— इसके अलावा स्वयं फरियादी रतिबाई आहत सुनीता द्वारा घटना में आरोपीगण द्वारा किसी धारदार वस्तु से चोट पहुँचाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये है एवं चूड़ियां टूट जाने से हाथों में चोट आना उक्त साक्षीगण ने बताया है और उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण से जमीन को लेकर विवाद होना भी स्वीकार किया है। उपरोक्त सम्पूर्ण विशलेषण से आई साक्ष्य से अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 17.07.2011 को 13 बजे ग्राम बेलई में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में एक सह अभियुक्त के साथ मिलकर धारदार वस्तु से रतिया की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत सुनीता को डण्डो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी शंकर सिंह पुत्र बुद्धलाल लोधी उम्र 65 साल एवं अतल सिंह पुत्र शंकरसिंह लोधी उम्र 28 साल निवासीगण – ग्राम बेलई पिपरई के विरुद्ध धारा 324/34, 323/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

15— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

16— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
 कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0